राजस्थान सरकार
राजस्थान (युप-6) विभाग

परिपत्र

कमांड:प3(2)राज-6 / 2003 / पार्ट
जयपुर, दिनांक: - (10/8)16

राजस्थान लोक अदालत अभियान न्याय आपको हार अभियान-2016 के दौरान रास्ते संबंधी अनेक समस्याएं सामने आई है। रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु माह अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर, 2016 में पूर्व तैयारी के रूप में 'प्रथम चरण' का अभियान चलाया जायेगा। इस दौरान चालू स्थाई रास्तों के राजस्थान अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जायेगी। इसके पश्चात माह नवम्बर, 2016 से 15 दिसम्बर, 2016 तक रास्तों का अतिक्रमण हटाने हेतु 'द्वितीय चरण' का अभियान चलाया जाना है।

रास्ते संबंधी कानून/नियम

राजस्थान भू-राजस्थ अधिनियम, 1956 की धारा 3(i) में भू-अभिलेख अधिकारी को परिभाषित किया है। भू-अभिलेख अधिकारी से तापस्यां कराकर से है। राजस्थ विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.09.1956 के हारा धारा 131,132 व 136 की गतिविधियां उपेक्षित अधिकारियों को दी गई है।

राजस्थान भू-राजस्थ अधिनियम, 1956 का चैप्टर 7 'स्वीकार तथा अभिलेख कार्य' से सम्बन्धित है। इस चैप्टर की धारा 128 व इसके बाद की धाराएं जब भू-प्रबंध कार्यवाही नहीं चल रही हो, तब लागू होती है। राजस्थान मृत-राजस्थ अधिनियम, 1956 की धारा 131 में 'भानुदेश अनुसार फील्ड बुक का संदर्भण' एवं धारा 132 में 'वार्षिक रजिस्टरों के संदर्भण' के प्राधिकार हैं। धारा 131 में भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रत्येक गांव या गांव के भाग, भू-बाधित या खेत की सीमाओं के सभी परिवर्तनों को नक्षे पर लेने का दायित्व है। धारा 132 में भू-अभिलेख अधिकारी पर दायित्व रखा गया है कि वह वार्षिक रजिस्टरों में निराधारित वस्तुं के उन सभ परिवर्तनों को जो हो जाए, लिखवायेगा।

राजस्थान भू-राजस्थ (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत भू-अभिलेखों का संदर्भण किया जाता है। राजस्थान भू-राजस्थ (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 60 में नक्षे में दुरुस्ती करने के प्राधिकार हैं। रास्ते हेतु नक्षे में सशोधन करने हेतु अधिसूचना दिनांक 02.04.2008 से संशोधन कर नियम 60 (एच) जोड़ी गयी हैं एवं नक्षे में राजकीय भूमि होने की स्थिति में बालू रास्ते का अंकन का प्राधिकार किया गया है। इसके अतिरिक्त नियम 58, 59, 66 व 86 प्राधिकारिक नियम हैं। नियम 58 रास्ता प्रमाणदारी, नियम 59 नक्षे के मध्य में, नियम 60 नक्षे में दुरुस्ती के संबंध में, नियम 66 खेतों के विभाजन के संबंध में व नियम 86 भूमि का वर्ग परिवर्तन के संबंध में है।

रास्ते संबंधी निम्न प्रकार की समस्याएं हैं जिनका निराकरण किया जाना अपेक्षित है:-

1. समस्या:-

(i) सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/ निजी खातेदार की भूमि में से मोके पर स्थायी रूप से चालू परंतु राजस्थ अभिलेख में किसी भी रूप में दर्ज नही। कई जगह कच्ची या पक्की सड़क भी बन गयी है।
(ii) राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में से मांगे पर स्थायी रूप से चालू एवं राजस्व नक्सें में रखा विन्दुओं (टॉटल लाइन) से दर्ज सार्वजनिक रास्ते। कई जगह कच्ची या वकील सड़क भी बन गयी है।

समाधान—
राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय और/या निजी भूमियों में से चालू हैं किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते ये हैं जो वार्तालाप हैं तथा मौसम/जलदाई के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध हैं। ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्राधिकारानुसार किया जाएगा। यहाँ पक्षारो को इस निहित नियम 58 (3) के अनुसार किये गये दंडे की रिपोर्ट तथा भी 31 की प्रति समन द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरावट एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। निरीक्षण भू-अभिलेख नियम के मामलों के अनुसार किया जाएगा। तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्राधिकार-प्रत्यक्ष उपखंड अधिकारी को प्रस्तुत करने के जरूरत पर आदेश देंगे। उपखंड अधिकारी के आदेश के अनुसार पर नामांकन कर के जरूरत पर रास्तों का कोष माल स्थानी से किया जाएगा। प्राधिकार पत्रों की लगातार जोड़ता निदेश अनुसार हेतु यह जरूरत रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आदेश हेतु दर्ज किया जाये। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता के राजस्थान खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नब्बे सहित दर्ज किया जाएगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्सें में व जमाबंदी में पुधक से खसरा नब्बे दर्ज किया जाएगा।

2. समस्या—
उपनिवेशन क्षेत्र में रास्ता सम्बन्धी प्राधिकार।

समाधान—
- राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्त 1955 की शर्त 8 (2) के अनुसार सरकार या सामान्य जनता के लिए रास्ते के अधिकार के सम्पन्न करने या आरक्षित करने के अधिकार का प्राधिकार निरनिरल्याता एक4(5)उपमी/2006 दिवस 11.05.2012 द्वारा किया गया है।
- राज्य सरकार की अधिनियम संख्या 3 (ख) (12) राजस्व/उपनिवेश दर्शन 08.11.1973 एवं धारा 102 द्वारा शर्त 8 (2) के कलक्टर को शक्तियां उपखंड अधिकारी को दी गई है।
- उपनिवेश क्षेत्रों में जहाँ किले बन्दी हो गई है और रास्ते का प्राधिकार प्रत्येक मुख्य तक है वहाँ नए रास्ते का अंकन इस अधिनियम में मुख्य किले बन्दी को उपविशेषरत रेख पत्थर लाईन को दृष्टिगत किया जाएगा। तथा राजस्थान उपनिवेशन (भू-विकास कार्य नियम) 1976 के प्राधिकार को दृष्टिगत रास्ता जाएगा। शेष प्रक्रिया उल्टा जिन संक्षेप 1 व 2 के अनुसार की जायेगी।
- उपनिवेशन अधिकारियों को उपविशेषरत अधिकारी/कलक्टर की शक्तियां दी गई है। दस्तूर सरकार अधिकारी द्वारा स्पष्ट आदेश किया जाएगा और उस का निमान अभिलेख अमल होगा। जिन क्षेत्रों का अभिलेख उपनिवेशन विभाग के पास उन क्षेत्रों हेतु कार्यवाही उपनिवेश विभाग तथा जिन अविशेषत उपनिवेश क्षेत्रों का अभिलेख राजस्व विभाग के पास है वहाँ राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
3. समस्या:-
काश्तकार द्वारा अपने खेत पर जाने हेतु दूसरे काश्तकार की खातेदारी भूमि से नया रास्ता चाहेना।

समाधान:-
इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251-ए अन्तर्गत उप-खण्ड अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सक्षम है। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के अन्तर्गत नियम 68-70 में प्रावधान विहित है।

4. समस्या:-
खाता विभाजन के समय रास्ते का प्रावधान किया जाना।

समाधान:-
राजस्थान विभाग (पु.पु-6) के पत्र क्रमांक प5(1) राज8/97 दिनांक 06.11.2004 के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी विभाजन करने से पूर्व प्रत्येक सम्बन्धित काश्तकार के लिए रास्ते का प्रावधान रखेगा।

5. समस्या:-
पुरुष / कटानी / कर्दीभी रास्ता पर किये गये अतिक्रमण को हटाना।

समाधान:-
बिन्दु संख्या 1 से 3 में वर्णित रास्तों संबंधी कार्यवाही करने के पश्चात उप-खण्ड अधिकारी एवं
सहसीनगर के नेतृत्व में जमावादी एवं नकशों में अंकित रास्ता पर यदि कोई अतिक्रमण हो तो
उन्हें हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जाये।

इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 से 4 की कार्यवाही माह अगस्त,
सितंबर व अक्टूबर, 2016 में पूर्ण की जाये तथा बिन्दु संख्या 5 की कार्यवाही माह नवम्बर से 15 दिसम्बर,
2016 तक पूर्ण की जानी है। जिला कलक्टर द्वारा जिले में सम्पादित उल्लम कार्यों की प्रगति की समीक्षा
स्पष्टतिक तीर पर किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिला
कलक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि 15 दिसम्बर, 2016 के बाद उनके जिले में रास्ते संबंधी कोई समस्या
लम्बित एवं शेष नहीं है।

(डा० कृष्ण बिहारी पटन्दर)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु--
1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्थान मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्थान विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
8. निर्बंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव (युप-1) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के
    निराकरण या रास्तों का अतिक्रमण हटाने के लिये चलाये जा रहे चरणबद्ध अभियान के संबंध में
    आवश्यक कार्यवाही की जाय।
11. गार्ड फाइल।

[Signature]

संयुक्त शासन सचिव